राजस्थान विधान सभा

दशम् सत्र

कार्य-सूची

मंगलवार, दिनांक 06 फरवरी, 2018

बैठक का समय-प्रात: 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

(क) अधिसूचनायें

1- श्री राजपाल सिंह शेखावत, उद्योग मंत्री, वित्त विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे :-

वित्त विभाग

1. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-III-128 दिनांक 28.10.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल एवं सेवा कर नियम, 2017 में संशोधान किया गया है;
2. अधिसूचना संख्या: एफ.2(6)वित्त/कर/2014पार्ट-129 दिनांक 31.10.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.2(6)वित्त/कर/2014पार्ट-84 दिनांक 13.9.2017 में संशोधन किया गया है;
3. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017पार्ट-III-130 दिनांक 1.11.2017 जिसके द्वारा शुद्धि पत्र जारी किया गया है;
4. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017पार्ट-III-131 दिनांक 1.11.2017 जिसके द्वारा शुद्धि पत्र जारी किया गया है;
5. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017पार्ट-III-132 दिनांक 14.11.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56) वित्त/कर /2017पार्ट-I-40 दिनांक 29.6.2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
6. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017पार्ट-III-133 दिनांक 14.11.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर /2017पार्ट-I-41 दिनांक 29.6.2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
7. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017पार्ट-III-134 दिनांक 14.11.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/ 2017पार्ट-I-43 दिनांक 29.6.2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

जारी..2..

8. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017पार्ट-III-135 दिनांक 14.11.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर /2017पार्ट-I-44 दिनांक 29.6.2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
9. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017पार्ट-III-136 दिनांक 14.11.2017 जिसके द्वारा कतिपय अनुसंधान संस्थाओं को निश्चित माल की आपूर्ति पर राज्य कर में रियायत प्रदान की गई है;
10. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017पार्ट-III-137 दिनांक 14.11.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर /2017पार्ट-I-49 दिनांक 29.6.2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
11. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017पार्ट-III-138 दिनांक 14.11.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर /2017पार्ट-I-50 दिनांक 29.6.2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
12. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-II-139 दिनांक 15.11.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल एवं सेवा कर नियम, 2017 में संशोधन किया गया है;
13. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-II-140 दिनांक 15.11.2017 जिसके द्वारा 1.5 करोड़ रूपये तक कुल पर्णयावर्त वाले करदाताओं को फॉर्म जीएसटीआर-1 के त्रैमासिक प्रस्तुतिकरण को निर्धारित किया गया है;
14. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-II-141 दिनांक 15.11.2017 जिसके द्वारा अक्टूबर, 2017 के बाद फॉर्म जीएसटीआर-3-बी के विलम्ब से दाखिल करने पर देय विलम्ब शुल्क की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है;
15. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-II-142 दिनांक 15.11.2017 जिसके द्वारा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेवाओं की आपूर्ति के लिये अनिवार्य पंजीकरण प्राप्ति से छूट प्रदान की गई है;
16. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-II-143 दिनांक 15.11.2017 जिसके द्वारा माल की आपूर्ति की दशा में अग्रिम प्राप्तियों पर कर के भुगतान के लिये करदाताओं को छूट तथा अधिसूचना संख्या: एफ. 12(56)वित्त कर/ 2017-पार्ट-II-119 दिनांक 13.10.2017 को अतिष्ठित किया गया है;
17. अधिसूचना संख्या: एफ.2(51)वित्त/कर/2014-144 दिनांक 8.12.2017 जिसके द्वारा आर.आई.डी.सी.ओ.आर. द्वारा निष्पादित ट्रस्ट डीड, सहबन्धक डीड एवं हाईपोथेकेशन डीड के उपकरणों पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;

जारी..3..

18. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-IV-145 दिनांक 18.12.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-68 सपठित राजस्थान माल एवं सेवा कर नियम, 2017 के नियम-138 के अन्तर्गत ई-वे बिल का निर्धारण किया गया है;

19. अधिसूचना संख्या:एफ.12(94)वित्त/कर/2007-146 दिनांक 18.12.2017 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-IV में संशोधन किया गया है;

20. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-IV-147 दिनांक 21.12.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल एवं सेवा कर नियम, 2017 में संशोधन किया गया है;

21. अधिसूचना संख्या: एफ.12(60)वित्त/कर/2017-148 दिनांक 22.12.2017 जिसके द्वारा राजस्थान ऑथोरिटी फॉर एडवान्स रूलिंग से संबंधित अधिसूचना संख्या: एफ.12(60)वित्त/कर/2017-68 दिनांक 19.7.2017 लागू की गई है;

22. अधिसूचना संख्या: एफ.12(60)वित्त/कर/2017-149 दिनांक 22.12.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-99 के अन्तर्गत राजस्थान अपिलेट ऑथोरिटी फॉर एडवान्स रूलिंग का गठन किया गया है;

23. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-III-152 दिनांक 29.12.2017 जिसके द्वारा 1.5 करोड़ रूपये तक कुल पर्णयावर्त वाले करदाताओं के लिये फॉर्म जीएसटीआर-1 के त्रैमासिक प्रस्तुतिकरण की नियत तिथि को बढ़ाया गया है;

24. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-III-153 दिनांक 29.12.2017 जिसके द्वारा फॉर्म जीएसटीआर-4 में विवरणी प्रस्तुत नहीं करने के लिये देय विलम्ब शुल्क का आंशिक अधित्याग किया गया है;

25. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-III-154 दिनांक 29.12.2017 जिसके द्वारा ई-वे बिल के नियम लागू होने की दिनांक को अधिसूचित किया गया है;

26. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-III-155 दिनांक 29.12.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर नियम, 2017 में संशोधन किया गया है;

27. अधिसूचना संख्या: एफ.2(6)वित्त/कर/2014पार्ट-156 दिनांक 1.1.2018 जिसके द्वारा स्टाम्प ड्यूटी पर देय ब्याज और दण्ड से छूट प्रदान करने के लिये एमनेस्टी योजना लागू की गई है; एवं

28. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-III-157 दिनांक 1.1.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर /2017-58 दिनांक 30.6.2017 में संशोधन किया गया है ।;

जारी..4..

2- श्री गजेन्द्र सिंह, पर्यावरण मंत्री, पर्यावरण विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे :-

पर्यावरण विभाग

1- अधिसूचना संख्या:एफ.12(1)पर्या/2015 दिनांक 27.8.2015, जिसके द्वारा एयर (प्रिवेन्सन एण्ड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन) एक्ट, 1981 के अन्तर्गत फसलों की कटाई के बाद भूसे को जलाये जाने को तत्काल प्रभाव से प्रतिबन्धित किया गया हैं; एवं

2- अधिसूचना संख्या:एफ.6(1)पर्या/77/पार्ट-1 दिनांक 14.11.2017, जिसके द्वारा राजस्थान एयर (प्रिवेन्सन एण्ड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन) रूल, 1983 में संशोधन किया गया हैं ।

3- श्री अमराराम, राजस्व राज्यमंत्री, राजस्व विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे :-

राजस्व विभाग

1- अधिसूचना संख्या:एफ.6(14)राज-4/81/पार्ट/36 दिनांक 5.12.2016, जिसके द्वारा राजस्थान भूदान यज्ञ बोर्ड में कतिपय सदस्यों का मनोनयन किया गया हैं;

2- अधिसूचना संख्या:एफ.1(96)राज-6/2016/37 दिनांक 8.12.2016, जिसके द्वारा दिनांक 13.12.2016 से प्रारम्भ होने वाले मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना के दौरान तहसीलदारों पर अधिरोपित कर्तव्यों एवं प्रदत्त शक्तियों को नायब तहसीलदारों को उनके क्षेत्राधिकार में प्रयोग करने हेतु अधिकृत किया गया है;

3- अधिसूचना संख्या:एफ.3(26)राज-6/2016/01 दिनांक 2.1.2017, जिसके द्वारा विभागीय आदेश क्रमांक : एफ.5(109)रेव-बी/60 दिनांक 20.7.1963 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

4- अधिसूचना संख्या:एफ.6(24)राज-6/2001/पार्ट/02 दिनांक 18.1.2017, जिसके द्वारा अधिसूचना क्रमांक : एफ.2(15)रेव-बी/67 दिनांक 13.4.1967 को तत्काल प्रभाव से विखण्डित किया गया हैं;

5- अधिसूचना संख्या:एफ.9(27)राज-6/2015/03 दिनांक 10.2.2017, जिसके द्वारा उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में गठित सलाहकार समितियों (जिला-बीकानेर) में कतिपय सदस्यों का मनोनयन किया गया है;

6- अधिसूचना संख्या:एफ.6(28)राज-6/2014/पार्ट/4 दिनांक 22.2.2017, जिसके द्वारा राजस्थान लैन्ड रेवेन्यू (अलॉटमेंट ऑफ लैन्ड फोर सैटिंग अप ऑफ पावर प्लान्ट बेस्ड ऑन रिन्युवेबल एनर्जी सोर्सेज) रूल्स, 2007 में संशोधन किया गया हैं;

जारी..5..

7- अधिसूचना संख्या:एफ.9(133)राज-6/15/05 दिनांक 1.3.2017, जिसके द्वारा जिला उदयपुर जहां भू-प्रबन्ध कार्य चल रहा है, वहां सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी पर अधिरोपित कर्तव्यों एवं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग निरीक्षक, भू-प्रबन्ध द्वारा सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी का पदस्थापन होने तक जिला उदयपुर के सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी के क्षेत्राधिकार के भीतर किये जाने हेतु अधिकृत किया गया है;

8- अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)राज-6/06-पार्ट/06 दिनांक 28.3.2017, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के नियम-169-एच के उप नियम-(1) के अन्तर्गत तहसील चूरू (जिला-चूरू) के क्षेत्र में उक्त नियम के चैप्टर-7 में वर्णित नियमों को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है;

9- अधिसूचना संख्या:एफ.1(158)राज-6/2015/पार्ट/07 दिनांक 12.4.2017, जिसके द्वारा राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण, जयपुर में श्री जगमोहन शर्मा का पीठासीन अधिकारी के पद पर पदस्थापन किया गया है;

10- अधिसूचना संख्या:एफ.9(126)राज-6/2012/08 दिनांक 12.4.2017, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-90-ए के अन्तर्गत तहसीलदार पर प्रदत्त शक्तियों एवं अधिरोपित कर्तव्यों को उनके क्षेत्राधिकार में प्रयोग करने हेतु अधिकृत किया गया हैं;

11- अधिसूचना संख्या:एफ.9(126)राज-6/2012/09 दिनांक 12.11.2017, जिसके द्वारा समस्त नायब तहसीलदारों को तहसीलदार पर प्रदत्त शक्तियों एवं अधिरोपित कर्तव्यों को उनके क्षेत्राधिकार में प्रयोग करने हेतु अधिकृत किया गया है;

12- अधिसूचना संख्या:एफ.9(126)राज-6/2012/10 दिनांक 12.4.2017, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-90-ए के अन्तर्गत नियुक्त प्राधिकृत अधिकारियों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-91 के अन्तर्गत तहसीलदार पर प्रदत्त शक्तियों एवं अधिरोपित कर्तव्यों को उनके क्षेत्राधिकार में प्रयोग करने हेतु दिनांक 30.9.2017 तक अधिकृत किया गया है;

13- अधिसूचना संख्या:एफ.3(8)राज-6/2014/11 दिनांक 24.4.2017, जिसके द्वारा राजस्थान लैन्ड रेवेन्यू (कन्वर्जन ऑफ एग्रीकल्चर लैन्ड फोर नॉन एग्रीकल्चरल परपजेज इन रूरल एरियाज) रूल्स, 2007 में संशोधन किया गया हैं;

14- अधिसूचना संख्या:एफ.6(25)राज-6/2015/12 दिनांक 1.5.2017, जिसके द्वारा आवंटन प्राधिकारी को स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं तथा लोकोपयोगी अन्य भवनों के निर्माण के लिये राजकीय विभागों को भूमि आवंटन हेतु अधिकृत किया गया है;

जारी..6..

15- अधिसूचना संख्या:एफ.9(25)राज-6/2014/13 दिनांक 4.5.2017, जिसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी प्रयोजनार्थ जिला कलक्टर की भूमि सेट-अपार्ट करने की शक्तियॉ उप खण्ड अधिकारी को दी गई हैं;

16- अधिसूचना संख्या:एफ.6(1)राज-6/2014/पार्ट-1/14 दिनांक 5.5.2017, जिसके द्वारा ग्राम पंचायतों के मामलों को निर्णित करने की ग्राम पंचायत की शक्तियॉ ग्राम पंचायत के स्थान पर राजस्थान तहसीलदार सेवा के अधिकारियों को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार, 2017 के दौरान उनके क्षेत्राधिकार में प्रयोग करने हेतु दिनांक 8.5.2017 से 31.7.2017 तक दी गई हैं;

17- अधिसूचना संख्या:एफ.6(1)राज-6/2014/पार्ट-1/15 दिनांक 5.5.2017, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 में उपखण्ड अधिकारी पर अधिरोपित कर्तव्यों एवं शक्तियों का, संबंधित जिला कलेक्टरों के निर्देश पर राज्य के समस्त जिलों में कार्यरत सहायक कलक्टर द्वारा उनके क्षेत्राधिकार में प्रयोग करने हेतु दिनांक 8.5.2017 से 31.7.2017 की अवधि के लिये अधिकृत किया गया हैं;

18- अधिसूचना संख्या:एफ.9(45)राज-6/2016/16 दिनांक 11.5.2017, जिसके द्वारा राजस्थान औद्योगिक भूमि आवंटन नियम, 1959 में संशोधन किया गया हैं;

19- अधिसूचना संख्या:एफ.1(3)राज-6/2011/पार्ट/17 दिनांक 18.5.2017, जिसके द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता नियम, 2016 में संशोधन किया गया हैं;

20- अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)राज-6/06-पार्ट/18 दिनांक 18.5.2017, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के नियम-169-एच के उप नियम-(1) के अन्तर्गत तहसील दूसूरी (जिला-पाली) के क्षेत्र में उक्त नियम के चैप्टर-7 में वर्णित नियमों को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है;

21- अधिसूचना संख्या:एफ.10(3)राज-6/2001/19 दिनांक 31.5.2017, जिसके द्वारा राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 में संशोधन किया गया हैं;

22- अधिसूचना संख्या:एफ.6(1)राज-6/2014/पार्ट-1/20 दिनांक 9.6.2017, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-136 के अन्तर्गत अधिकार अभिलेख में गलतियों के शुद्धिकरण के मामलों में भू-अभिलेख अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों एवं अधिरोपित कर्तव्यों का प्रयोग समस्त तहसीलदारों द्वारा अपने-अपने क्षेत्राधिकार में करने हेतु दिनांक 31.7.2017 तक प्राधिकृत किया गया है;

23- अधिसूचना संख्या:एफ.6(13)राज-6/2014/21 दिनांक 13.6.2017, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व(ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 में संशोधन किया गया हैं;

जारी..7..

24- अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)राज-6/2006पार्ट/22 दिनांक 16.6.2017, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व(भू-अभिलेख) नियम, 1957 में संशोधन किया गया हैं;

25- अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)राज-6/06-पार्ट/23 दिनांक 28.6.2017, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के नियम-169-एच के उप नियम-(1) के अन्तर्गत तहसील रामगंजमण्डी (जिला-कोटा) के क्षेत्र में उक्त नियम के चैप्टर-7 में वर्णित नियमों को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है;

26- अधिसूचना संख्या:एफ.9(68)राज-6/2015/24 दिनांक 7.7.2017, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व(सिनेमाघर या पैट्रोल या चिकित्सा सुविधा या विस्फोटक भण्डार स्थापित करने हेतु कृषि भूमि का आवंटन तथा नियमन) नियम, 1978 में संशोधन किया गया हैं;

27- अधिसूचना संख्या:एफ.14(1)राज-6/2005/25 दिनांक 17.7.2017, जिसके द्वारा विभागीय आदेश क्रमांक : एफ.5(109)रेव-बी/60 दिनांक 20.7.1963 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

28- अधिसूचना संख्या:एफ.14(1)राज-6/05/पार्ट/26 दिनांक 11.8.2017, जिसके द्वारा विभागीय आदेश क्रमांक : एफ.5(109)रेव-बी/60 दिनांक 20.7.1963 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

29- अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)राज-6/06/पार्ट/27 दिनांक 24.8.2017, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के नियम-169-एच के उप नियम-(1) के अन्तर्गत तहसील राजगढ़ (जिला-चूरू) के क्षेत्र में उक्त नियम के चैप्टर-7 में वर्णित नियमों को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है;

30- अधिसूचना संख्या:एफ.6(1)राज-6/2014/पार्ट-1/28 दिनांक 3.10.2017, जिसके द्वारा अजमेर जिले की तहसील अजमेर, नसीराबाद, पुष्कर, एवं पीसांगन में अधिकार अभिलेख में गलतियों के शुद्धिकरण हेतु तहसीलदारों को दिनांक 30.12.2017 तक अधिकार दिये गये हैं;

31- अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)राज-6/06/पार्ट/29 दिनांक 5.10.2017, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के नियम-169-एच के उप नियम-(1) के अन्तर्गत तहसील मलसीसर (जिला-झुंझुनूं) के क्षेत्र में उक्त नियम के चैप्टर-7 में वर्णित नियमों को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है;

32- अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)राज-6/2006पार्ट/30 दिनांक 12.10.2017, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व(भू-अभिलेख) नियम, 1957 में संशोधन किया गया हैं;

33- अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)राज-6/06/पार्ट/31 दिनांक 7.11.2017, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के नियम-169-एच के उप नियम-(1) के अन्तर्गत तहसील घाटोल (जिला-बांसवाड़ा) के क्षेत्र में उक्त नियम के चैप्टर-7 में वर्णित नियमों को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है;

जारी..8..

34- अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)राज-6/06/पार्ट/32 दिनांक 7.11.2017, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के नियम-169-एच के उप नियम-(1) के अन्तर्गत तहसील श्रीमाधोपुर (जिला-सीकर) के क्षेत्र में उक्त नियम के चैप्टर-7 में वर्णित नियमों को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है;

35- अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)राज-6/2006पार्ट/33 दिनांक 8.11.2017, जिसके द्वारा एक शुद्धि-पत्र जारी किया गया है;

36- अधिसूचना संख्या:एफ.9(79)राज-6/2011/34 दिनांक 20.11.2017, जिसके द्वारा राजस्थान लैन्ड रेवेन्यू(परमामेन्ट अलॉटमेंट ऑफ इवाक्यू एग्रीकल्चर लैंड्स) रूल, 1963 में संशोधन किया गया हैं;

37- अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)राज-6/06पार्ट/35 दिनांक 21.11.2017, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के नियम-169-एच के उप नियम-(1) के अन्तर्गत तहसील गिरवा (जिला-उदयपुर) के क्षेत्र में उक्त नियम के चैप्टर-7 में वर्णित नियमों को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है;

38- अधिसूचना संख्या:एफ.10(3)राज-6/2001/पार्ट/36 दिनांक 23.11.2017, जिसके द्वारा राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 में संशोधन किया गया हैं;

39- अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)राज3-6/06पार्ट/37 दिनांक 23.11.2017, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के नियम-169-एच के उप नियम-(1) के अन्तर्गत तहसील बीजासर (जिला-चूरू) के क्षेत्र में उक्त नियम के चैप्टर-7 में वर्णित नियमों को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है;

40- अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)राज-6/06पार्ट/38 दिनांक 29.11.2017, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के नियम-169-एच के उप नियम-(1) के अन्तर्गत तहसील चिड़ावा (जिला-झुंझुनूं) के क्षेत्र में उक्त नियम के चैप्टर-7 में वर्णित नियमों को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है;

41- अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)राज-6/06पार्ट/39 दिनांक 7.12.2017, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के नियम-169-एच के उप नियम-(1) के अन्तर्गत तहसील बसेड़ी (जिला-धौलपुर) के क्षेत्र में उक्त नियम के चैप्टर-7 में वर्णित नियमों को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है;

42- अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)राज-6/2006पार्ट/40 दिनांक 8.12.2017, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व(भू-अभिलेख) नियम, 1957 में संशोधन किया गया हैं;

जारी..9..

43- अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)राज-6/06पार्ट/41 दिनांक 12.12.2017, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के नियम-169-एच के उप नियम-(1) के अन्तर्गत तहसील बागीदोरा (जिला-बांसवाड़ार) के क्षेत्र में उक्त नियम के चैप्टर-7 में वर्णित नियमों को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है; एवं

44- अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)राज-6/06पार्ट/42 दिनांक 19.12.2017, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के नियम-169-एच के उप नियम-(1) के अन्तर्गत तहसील रामगढ़ शेखावाटी (जिला-सीकर) के क्षेत्र में उक्त नियम के चैप्टर-7 में वर्णित नियमों को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है ।

4- श्री वासुदेव देवनानी, शिक्षा राज्यमंत्री, शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या:एफ.1(2)एज्यू-1/2014 दिनांक 12.9.2017,जिसके द्वारा सार्वजनिक-निजी सहभागिता नीति, 2017 जारी की गई है, सदन की मेज पर रखेंगे ।

5- श्री पुष्पेन्द्र सिंह, ऊर्जा राज्यमंत्री, ऊर्जा विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे :-

ऊर्जा विभाग

1- अधिसूचना संख्या:एफ.राविविआ/सचिव/विनियम-121 दिनांक 14.9.2017 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (सौर तथा पवन उत्पादन स्रोत के पूर्वानूमान, शिड्यूलिंग, विचलन, व्यवस्थापन और सम्बद्ध मामले) विनियम, 2017 विरचित किये गये हैं; एवं

2- अधिसूचना संख्या:एफ.राविविआ/सचिव/विनियम-122 दिनांक 8.11.2017 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र एवं सम्बद्ध मामले) विनियम, 2017 विरचित किये गये हैं ।

(ख) वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री पुष्पेन्द्र सिंह, ऊर्जा राज्यमंत्री निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण सदन की मेज पर रखेंगे :-

I- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड़ का 17वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं वित्तीय विवरण वर्ष 2016-2017;

II- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड़ का 17वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017;

III- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड़ का 17वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017;

IV- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड़ का 17वां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे वर्ष 2016-2017;

जारी..10..

V- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड़ का 17वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2016-2017;

VI- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड़ का द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017.

VII- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत वितरण वित्त निगम लिमिटेड़ का द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2016-2017. एवं

VIII- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड़ का 22वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017.

3. कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर विचार

श्री कालूलाल गुर्जर, सरकारी मुख्य सचेतक कार्य सलाहकार समिति के 37वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे ।

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि -

"यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 37वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ।"

4. समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

(I) श्री गुलाब चन्द कटारिया, सभापति, प्रवर समिति, दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2017 पर गठित प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे ।

(II) श्री प्रध्युमन सिंह, सभापति, जनलेखा समिति, 2017-2018 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगे :-

1. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2014-15 का अनुच्छेद संख्या 3.15 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 229वां प्रतिवेदन ।
2. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2014-15 का अनुच्छेद संख्या 3.16 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 230वां प्रतिवेदन ।

जारी..11..

3. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2014-15 का अनुच्छेद संख्या 3.3, 3.4 एवं 3.6 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 231वां प्रतिवेदन ।
4. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2015-16 का अनुच्छेद संख्या 3.4 कृषि विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 232वां प्रतिवेदन ।
5. जनलेखा समिति, 2016-17 के 144वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 233वां प्रतिवेदन ।
6. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2015-16 का अनुच्छेद संख्या 3.9 गृह (कारागार) विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 234वां प्रतिवेदन ।
7. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2014-15 का अनुच्छेद संख्या 3.11 पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 235वां प्रतिवेदन ।
8. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2014-15 का अनुच्छेद संख्या 3.10 कृषि विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 236वां प्रतिवेदन ।
9. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2015-16 का अनुच्छेद संख्या 3.8 उपभोक्ता मामलात विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 237वां प्रतिवेदन ।
10. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2015-16 का अनुच्छेद संख्या 3.7 वित्त विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 238वां प्रतिवेदन ।
11. जनलेखा समिति, 2015-16 के 70वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 239वां प्रतिवेदन ।
12. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2015-16 का अनुच्छेद संख्या 3.6 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 240वां प्रतिवेदन ।

जारी..12..

13. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2014-15 का अनुच्छेद संख्या 3.9 स्वायत्त शासन विभाग तथा अनुच्छेद संख्या 3.23- नगरीय विकास एवं आवासन विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 241वां प्रतिवेदन।

14. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2014-15 का अनुच्छेद संख्या 3.18 आपदा प्रबन्धन एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 242वां प्रतिवेदन।

15. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राज्य-वित्त) वर्ष 2014-15 का अनुच्छेद संख्या 2.4 वन, कला एवं संस्कृति, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च, तकनीकी एवं संस्कृत शिक्षा, अल्पसंख्यक मामलात तथा युवा मामले एवं खेल विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 243वां प्रतिवेदन।

16. जनलेखा समिति, 2015-16 के 92वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 244वां प्रतिवेदन।

17. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियॉ) वर्ष 2013-14 में समाविष्ट परिवहन विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 245वां प्रतिवेदन।

18. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियॉ) वर्ष 2014-15 में समाविष्ट अनुच्छेद संख्या 3.1 से 3.9 परिवहन विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 246वां प्रतिवेदन।

19. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियॉ) वर्ष 2009-10 में समाविष्ट जल संसाधन विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 247वां प्रतिवेदन।

20. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियॉ) वर्ष 2010-11 में समाविष्ट खनिज विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 248वां प्रतिवेदन।

21. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियॉ) वर्ष 2010-11 में समाविष्ट अनुच्छेद संख्या 6, अनुच्छेद संख्या 1.1 से 7.3 मुद्रांक कर पंजीयन शुल्क विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 249वां प्रतिवेदन।

22. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2015-16 का अनुच्छेद संख्या 3.1 आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 250वां प्रतिवेदन।

जारी..13..

23. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2015-16 का अनुच्छेद संख्या 3.12 जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 251वां प्रतिवेदन ।

24. जनलेखा समिति, 2015-16 के 109वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 252वां प्रतिवेदन ।

25. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राज्य-वित्त) वर्ष 2015-16 का अनुच्छेद संख्या 1.2.5 वित्त, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ऊर्जा, माध्यमिक शिक्षा, पर्यटन, पशुपालन तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा अनुच्छेद संख्या 2.5 वित्त एवं जल संसाधन तथा अनुच्छेद संख्या 3.5 वित्त विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 253वां प्रतिवेदन।

26. जनलेखा समिति, 2016-17 के 179वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 254वां प्रतिवेदन ।

5. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद

(1) श्री अभिषेक मटोरिया (विभाजन संख्या-7), सदस्य विधान सभा प्रस्ताव करेंगे कि राज्यपाल महोदय को निम्नांकित रूप में धन्यवाद (समावेदन) प्रस्तुत किया जावे :-

> "इस सत्र में एकत्रित हम, राजस्थान विधान सभा के सदस्यगण, राज्यपाल द्वारा इस सदन में दिये गये अभिभाषण के प्रति उनके आभारी हैं ।"

(2) श्री मान सिंह (विभाजन संख्या-125), सदस्य विधान सभा प्रस्ताव का अनुमोदन करेंगे ।

(संशोधन यदि कोई होंगे, तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

पृथ्वी राज
सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 05 फरवरी, 2018